उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ

सं0–661 काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–17 काविनी एवं वे0प्र0–8 दि0 12 जून, 09

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन लि0 के पूर्ण कालिक निदेशक एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वितरण कम्पनियों में उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्त पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक को उ0प्र0 सरकार के वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी आदेश सं0– वे0आ0–2––1314/दस–59 (एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में निहित व्यवस्था के अनुसार तथा पावर कारपोरेशन की वितरण कम्पनियों के निदेशकों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ के पुनरीक्षण सम्बन्धी आदेश सं0–175 काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–17काविनी एवं वे0प्र0–8 दि0 19 फरवरी, 2009 में निहित व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 शासन से इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्राप्त होने के प्रतिबन्धाधीन अनन्तिम रूप से दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन एत्‌दद्वारा निम्नवत अनुमन्य किये जाने के आदेश किये जाते है :–

अपुनरीक्षित वेतनमान	**1.1.06 से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान**	**सादृष्य ग्रेड वेतन**
21350–525–23975	वेतन बैण्ड–4 37400–67000	11000
22400–525–24500	वेतन बैण्ड–4 37400–67000	12000

2. उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त पदो पर कार्यरत अधिकारियों का वेतन निर्धारण संगत शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1314/दस–59 (एम) दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार किया जायेगा।
3. उक्त पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षित वेतन भविष्य में उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुमन्य कराये जाने वाले वेतन के प्रतिबन्धाधीन होगा तथा उसके सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।
4. वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमान में अवशेष का भुगतान कारपोरेशन के आदेश संख्या–175–काविनी एवं वे0प्र0–29/ पाकालि/09–17–काविनी एवं वे0प्र0–08 दिनांक 19 फरवरी, 2009, आदेश संख्या– 445–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17 काविनी एवं वे0प्र0/08 दिनांक 29.04.09 एवं आदेश संख्या–782–पी0 एण्ड आर0–28/पाकालि/2009–60 पी0 एण्ड आर0/98 दिनांक 18.05.09 मे निहित व्यवस्था प्रकरण विशेष पर यथायोज्य के अनुसार किया जायेगा।

5. संबंधित अधिकारी उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान चुनने हेतु विकल्प तथा सहमति पत्र संलग्न प्रारूपानुसार वेतन प्राधिकृत हेतु सक्षम अधिकारी को आदेश निर्गतन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रेषित करेंगें।
6. दिनांक 01.01.06 से देय पुनरीक्षित वेतनमानों के सापेक्ष अन्य भत्तों का पुनरीक्षण उ0प्र0 सरकार के अनुरूपता में किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं0–661 कार्मिनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय ऊर्जा मंत्री जी उ0प्र0 के निजी सचिव।
2. सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. सचिव (वित्त) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानुपर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
12. अधिशासी अभियंता (वेब) कक्ष सं0–407 शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www. uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(पी0एन0 सिंह)
अपर सचिव

पावर कारपोरेशन के आदेश सं0- 661 काविनी एवं वे0प्र0-29/ पाकालि/09-17 काविनी एवं वे0प्र0-8 दिनांक 12 जून,2009 के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण हेतु सहमति पत्र

मैं यह सहमति प्रदान करता हूँ कि उक्त आदेश के अन्तर्गत अनन्तिम रूप से दिये जाने वाले वेतन निर्धारण, एवं इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन से कोई भिन्न दिशा-निर्देश निर्गत होने की दशा किसी भी प्रकार की त्रुटि/असंगति अथवा अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, कारपोरेशन द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक.................. हस्ताक्षर...

स्थान................... नामः...

पदनाम...

विकल्प का प्रारूप

* (1) मैं ....

दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ।

* (2) मैं ....

अपने मूल/स्थानापन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि :-

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि ....

...........................।

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर .... न हो जाए।

मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ / छोड़ दूँ।

वर्तमान वेतनमान ....

हस्ताक्षर..............................
नाम ....
पदनाम ....
कार्यालय का नाम..........................

दिनांक - ....
स्थान - ....

* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए।

कार्यालय ज्ञाप संख्या–175–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे0प्र0–08 दिनांक 19 फरवरी, 2009 का संलग्नक

PRE-REVISED 21350-525-23975	REVISED PAY BAND 37400-67000		
	REVISED PAY		
PRE - REVISED BASIC PAY	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
21,350	48,870	11,000	59,870
21,875	50,340	11,000	61,340
22,400	51,850	11,000	62,850
22,925	53,410	11,000	64,410
23,450	55,020	11,000	66,020
23,975	56,680	11,000	67,680
24,500	58,380	11,000	69,380
25,025	60,140	11,000	71,140
25,550	61,950	11,000	72,950

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1327/दस–59 (एम)/2008 दिनांक 11.12.2008 का संलग्नक

Pre-revised scale
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380